भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1274
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

†1274. श्री गौरव गोगोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 224क के अंतर्गत आपराधिक अपीलों की अधिक लंबित संख्या वाले उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उच्चतम न्यायालय के प्रस्ताव का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) देशभर के उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक अपीलों की कुल संख्या कितनी है तथा विगत पाँच वर्षों का राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) न्यायिक रिक्तियों को भरने और आपराधिक अपीलों के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार बैकलॉग मामलों को कम करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को संस्थागत रूप देने हेतु किसी औपचारिक नीति पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सी) सं. 2019 के 1236 में तारीख 20.04.2021 के निर्णय में ऐसी नियुक्तियों के लिए दिशानिर्देश नियत किया था। उच्चतम न्यायालय पीठ ने अपने तारीख 30.01.2025 और तारीख 18.12.2025 के आदेशों में तारीख 20.04.2021 को दिए गए उपरोक्त निर्णय में अंशतः संशोधन किया है और, दूसरी बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया है कि

प्रत्येक उच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क का अवलंब ले सकेगा, जिनकी संख्या 2 से 5 के बीच हो, लेकिन उच्च न्यायालय की स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक न हो। यह भी निदेश दिया गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में दिया गया है, ऐसी नियुक्तियों के लिए भी लागू होगा।

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 7,63,539 आपराधिक अपील लंबित हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जो उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ अवर न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार संबंधित राज्य सरकार की राय ली जाती है। सिफारिशों पर उन दूसरी रिपोर्टों पर भी विचार किया जाना चाहिए, जो सरकार को विचाराधीन नामों के संबंध में उपलब्ध हो सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों के पश्चात् सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और मिलकर काम करने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से सलाह और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। केवल उन्हीं लोगों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम की सिफारिश एससीसी ने की हो।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या ऐसे विभिन्न कारणों से हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमेबाजों का सहयोग इसके अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और मामलों की सुनवाई को मानीटर करने, उसे ट्रैक करने तथा समूह बनाने के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं का उचित क्रम से लागू किया जाना भी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की रिक्तियों की स्थिति आवश्यक रूप से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है ।

****